बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक– /पटना, दिनांक–

संosio– 4तक0/भू–सम्परिवर्त्तन/19/2016

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
सहरसा।

विषय :– **मेसर्स राधाबल्लभ मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट, पटना द्वारा गोलमा, सौर बाजार, सहरसा में 500 बेड का हॉस्पीटल एवं 100 छात्रों की क्षमता का मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कुल 21.075 एकड़ (इक्कीस एकड़ साढ़े सात डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स राधाबल्लभ मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट, पटना द्वारा गोलमा, सौर बाजार, जिला–सहरसा में 500 बेड का हॉस्पीटल एवं 100 छात्रों की क्षमता का मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अपने आवेदन, विवरण एवं नक्शा के अनुरूप कुल 21.075 एकड़ (इक्कीस एकड़ साढ़े सात डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–2(ii)(ग) में संशोधन से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 09 दिनांक 06.01.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक 1475 दिनांक 11.06.2015 निर्गत है। साथ–ही उद्योग विभाग के पत्रांक 1630 दिनांक 01.09.2015 द्वारा भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु प्रकिया निर्धारित है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 30 दिनांक 10.01.2013 द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्त्तन में छूट देने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना 155(1) दिनांक 04.03.2014 से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के अन्तर्गत थ्रस्ट एरिया में शामिल किया गया है एवं पत्रांक– 1286(1) दिनांक–28.12.2014 द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत् मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देने का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव पर दिनांक 23.02.2016 को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सहमति प्राप्त है।

अतः उपरोक्त के आलोक में ट्रस्ट के पक्ष में गोलमा, सौर बाजार, जिला–सहरसा में संलग्न सूची के अनुसार कुल 21.075 एकड़ (इक्कीस एकड़ साढ़े सात डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन हेतु भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट देने हेतु प्राधिकार–पत्र निर्गत किया जाता है। भूमि संबंधी कागजात संलग्न है।

कृपया इस संबंध में अग्रेतर कारवाई करने के उपरान्त भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में दी गई छुट की राशि सहित पूर्ण विवरणी के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सहरसा/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मेसर्स राधाबल्लभ मेडिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1105 /पटना, दिनांक– 03.05.16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

03.05.2016
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

(5)